



भा.कृ.अनु.प. - केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान
I.C.A.R. - CENTRAL INSTITUTE FOR ARID HORTICULTURE
Beechwal, Bikaner (Rajasthan) - 334006
बीछवाल, बीकानेर (राजस्थान) - 334006



संस्थान के विभिन्न प्रखण्डों से 6-7 क्विंटल ग्वार की तुड़ी की खुली नीलामी (दिनांक 22.01.2021 को सुबह 11.00 बजे) के विस्तृत नियम व शर्त।

1. संस्थान के विभिन्न प्रखण्डों से सरसो की तुड़ी की नीलामी की जानी है।
2. नीलामी में भाग लेने के लिये प्रत्येक इच्छुक व्यक्ति को बयाना राशि के रूप में ₹.500/- (रुपये पांच सौ मात्र) जमा कराने होंगे।
3. अधिकतम बोली दाता के हक में बोली छोड़ने या न छोड़ने का अधिकार संस्थान के सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा एवं उनका निर्णय अंतिम होगा।
4. जिस व्यक्ति के नाम से बोली स्वीकृत होगी, उसे स्वीकृत बोली की कुल राशि का एक तिहाई (33 प्रतिशत) मौके पर ही जमा कराना होगा। शेष दो तिहाई राशि संस्थान के बोली स्वीकार्य बाबत पत्र प्राप्त होने के तीन दिन के अंदर जमा करानी होगी। तत्पश्चात ही सफल बोली दाता को तुड़ाई कार्य प्रारंभ करने का अधिकार पत्र जारी किया जायेगा।
5. सफल बोलीदाता द्वारा निर्धारित अवधि में बोली की संपूर्ण राशि जमा करवानी होगी।
6. ठेकेदार को यह सुनिश्चित करना होगा कि ग्वार की तुड़ी लेते समय संस्थान की अन्य संपत्ति को किसी प्रकार की हानि न पहुंचे। प्रक्षेत्र में आग जलाना प्रतिबंधित होगा। यदि किसी प्रकार का नुकसान होता है, तो इसकी भरपाई ठेकेदार को करनी होगी।
7. बोली की राशि पर लगने वाले किसी प्रकार के कर इत्यादि के भुगतान की पूर्ण जिम्मेदारी सफल बोलीदाता की ही होगी एवं संस्थान किसी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।
8. ग्वार की तुड़ी को ले जाने का कार्य प्रत्येक कार्य दिवस पर तकनीकी कर्मचारी (खण्ड) की देख-रेख में प्रातः 10.00 बजे से सायं 4.00 बजे के मध्य ही सम्पन्न करना होगा। रविवार एवं अन्य राजकीय अवकाश में कार्य नहीं होगा। संस्थान में कार्यरत बंदी श्रमिकों को ग्वार की तुड़ी ले जाने के लिये नहीं लगाना होगा अन्यथा ठेका तुरन्त प्रभाव से निरस्त कर दिया जावेगा। लकड़ियों को बाह ले जाने से पहले गेट-पास लेना अनिवार्य है।
9. किसी भी प्राकृतिक आपदा एवं अन्य किसी भी कारण ग्वार की तुड़ी से को होने वाले नुकसान की जिम्मेदारी संस्थान की नहीं होगी।
10. सफल बोलीदाता की बयाना राशि (Earnest Money) का पुर्नभुगतान (Refund) ग्वार की तुड़ी को ले जाने का कार्य पूर्ण होने के पश्चात एवं प्रभारी फार्म द्वारा अदेयता प्रमाणपत्र (No dues Certificate) जारी करने पर किया जायेगा। इस हेतु ठेकेदार को संस्थान द्वारा जारी मूल रसीद (IR-5) को आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होगा।
11. केवल कार्य दिवस व कार्यालय समय में ही उपरोक्त कार्य सम्पन्न करना होगा एवं सामान को निकासी गेट पास द्वारा (10 A.M. से 4 P.M.) कि जायेगी।
12. संस्थान के किसी भी अनुसंधान प्रखण्ड एवं संस्थान की अन्य संपत्ति, पाइप लाइन, तार बंदी, पौधों इत्यादि को अनुबंधक एवं उसके श्रमिकों द्वारा कोई क्षति न पहुंचाई जाये, अन्यथा इसके लिये अनुबंधक उत्तरदायी होगा एवं इसकी भरपाई अनुबंधक से की जावेगी।
13. उपरोक्त कार्य हेतु संस्थान द्वारा किसी भी प्रकार के संसाधन उपलब्ध नहीं करवाये जायेगे।
14. संस्थान में कार्यरत बंदी श्रमिकों को उपरोक्त कार्य में अनुबंधक द्वारा नहीं लगाया जायेगा।
15. उपरोक्त ग्वार की तुड़ी अनुबंधक को संस्थान फार्म से जहाँ पडी है वहाँ से ही उठानी होगी।

सूचनार्थ:

1. नोटिस बोर्ड-कार्यालय।
2. नोटिस बोर्ड प्रक्षेत्र।
3. प्रभारी ए.के.एम.यू.-अपलोड हेतु।

Sd/-
प्रशासनिक अधिकारी
ADMINISTRATIVE OFFICER

केन्द्रीय-केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान
CENTRAL INSTITUTE FOR ARID HORTICULTURE
बीकानेर/BIKANER